

पत्र सं० : 5/पी०- 01/2016- 73(5)९ स्वा०,
झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

शुद्धि-पत्र

विभागीय आवंटनादेश सं०- 12(5)ब दिनांक 20.06.17 के संलग्न परिशिष्ट के क्रमांक 1 के स्तम्भ 4 में अंकित Grant-in-aid for Integrated Disease Surveillance Programmes को संशोधित रूप में "Grant-in-aid for National Vector Borne Disease Control Programmes" पढ़ा जाए।

2. उक्त आवंटनादेश की शेष शर्तें यथावत् रहेंगे।


(निधि खरे)

सरकार के प्रधान सचिव।


ज्ञाप संख्या- 73(5)९

रांची, दिनांक: 22/3/18

प्रतिलिपि: माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/अभियान निदेशक, झारखण्ड स्वास्थ्य मिशन, नामकुम, राँची/संबंधित उपायुक्त/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची/संबंधित सिविल सर्जन/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, नेपाल हाउस, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

73(5)९
22-3-18


(निधि खरे)
सरकार के प्रधान सचिव।